

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 376/2023



1. बलराम पुत्र गोपालराम जाति विश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. राजेन्द्र पुत्र गोपालराम जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 9 संगरिया तहसील संगरिया
3. इमानती पत्नी इन्द्राज पुत्र गोपालराम जाति विश्नोई निवासी चन्द्रवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. द्वारकादेवी पत्नी गोपालराम जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 संगरिया तहसील संगरिया
2. भागवन्ती पुत्री रामकरण पत्नी औमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी 7 एल.सी. श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सावित्री पुत्री रामकरण पत्नी बनवासीलाल जाति विश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया
4. जगदीश पुत्र श्री गोपालराम जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 1 संगरिया तहसील संगरिया
5. सिलोचना पुत्री गोपालराम पत्नी अमरसिंह जाति विश्नोई निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. मनतीदेवी पुत्री गोपालराम पत्नी सुभाष चन्द्र जाति विश्नोई गांव गंगा तहसील गोरीवाली जिला सिरसा हरियाणा
7. कमलादेवी पुत्री गोपालराम पत्नी देवप्रकाश जाति विश्नोई निवासी 14 ए.पी.डी. तहसील व जिला श्री गंगानगर
8. राजकमल पुत्र श्री इन्द्राज जाति विश्नोई निवासी चन्द्रवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
9. प्रर्मिला पुत्री इन्द्राज पत्नी नवीन कुमार जाति विश्नोई निवासी दुतारांवाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब
10. राजकुमार पुत्र श्री इन्द्राज जाति विश्नोई निवासी चन्द्रवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
11. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हरबंस सिंह झोरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कैलाश सिंवल वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- (क) - 5 आई.डी.जी. के खाता संख्या 98/51 ज.सं. 2072-75 में गोपालराम पुत्र रामकरण के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार इसी चक में प्रतिवादी सं. 2 व 3 भागवन्ती, सावित्री के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व चक 3 आई.डी.जी. के खाता

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

संख्या 53/15 में गोपालराम पुत्र रामकरण के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिष् खतेदार काश्तकार घोषित किया जावे। चक 3 आई.डी.जी के खाता संख्या 53/15 व चक 12 केएसडी के खाता संख्या 41/36 चक 5 आईडीजी के खाता संख्या 98/51 में गोपालराम पुत्र रामकरण व भागवती सावित्री का नाम कलमजन किया जावे एवं वादी संख्या 1 बलराम को चक 5 आई.डी.जी. के खाता संख्या 98/51 में 1.410 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी प्रकार वादी संख्या 3 इमान्ती को चक 5 आईडीजी के खाता संख्या 98/51 में 1.411 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित की जावे तथा वादी संख्या 2 राजेन्द्र को चक 5 आई.डी.जी. के खाता संख्या 98/51 ज.सं. 2072-75 में 0.6965 है. तथा चक 12 केएसडी के खाता संख्या 41/36 ज.सं. 2071-74 में 0.633 है. तथा चक 3 आई.डी.जी. के खाता संख्या 53/15 ज.सं. 2071-74 में 0.081 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..... नल..... मुब्लिक..... निल..... बाबत..... निल..... खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....  
अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02-03-2024 को जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )  
सहायक-कलेक्टर एवं  
उपरखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

